संख्या:63/2017/3331जेएल/22-3-17-100(30)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2017***

विषय: जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक मोख्तार अंसारी पुत्र श्री सुभानउल्लाह अंसारी को दिनांक 14-12-2017 से आहूत विधान सभा सत्र में भाग लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44318/सामा-1(2)/वि0मं0सत्र0/2017, दिनांक 13-12-2017 में किये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2017 के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक मोख्तार अंसारी पुत्र श्री सुभानउल्लाह अंसारी को उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र-2017 के दौरान रात्रि विश्राम हेतु जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- बंदी की निरूद्धि की यह अंतरिम व्यवस्था है। सत्र की समाप्ति के उपरान्त उक्त बंदी को वापस जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध कर दिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:63/2017/3331जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
5- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/बांदा/उन्नाव।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा/उन्नाव।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा/अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in